

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022  
प्र.इ.रि.स. .... 243/22 ..... दिनांक ..... 16/6/2022
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें - धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018  
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता -  
(iii) अधिनियम - धारायें -  
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें -
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या ..... 309 ..... समय ..... 5.30 P.M.,  
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय: बुधवार दिनांक 15.06.2022 समय 12.30 पीएम  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 14.06.2022
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 580 किलो मीटर  
(ब) पता : राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा।  
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :  
(अ) नाम : - श्री पीरुलाल डोडियार  
(ब) पिता - श्री राजेंग डोडियार  
(स) जन्म तिथि/वर्ष - 22 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता : - भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि.....  
जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय - मजदूरी  
(छ) पता - गांव दानपुर बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : डॉ. प्रदीप शर्मा पिता श्री भगवान सहाय शर्मा उम्र 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी गांव पाली थाना महुआ जिला दौसा हाल चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. दुराई हुई/संलपित सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
10. दुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : - 8,000/- रुपये
11. गरी सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :-
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)-

निवेदन

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा।  
विषय:- रिश्कत मामले पर कार्यवाही वास्त।

मोहोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे भाई श्री राजू की पत्नी नरसा का डिलेवरी लाईम होने से दिनांक 12.06.22 को राजकीय प्राथमिक अस्पताल दानपुर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर साहब प्रदीप शर्मा द्वारा बताया गया कि चक्का अन्दर भर गया है जिसकी डिलेवरी कराने में एक दो दिन का समय लगेगा जिसके लिये 4000 रुपये खर्चापानी लगेगा जिस पर मैंने राजू के सामने ही दिनांक 12.06.22 को दे दिये। फिर भी डिलेवरी नहीं हुई इसके बाद आज दिनांक 14.06.22 को दानपुर अस्पताल से जिला अस्पताल बांसवाडा के लिये रेफर कर दिया और कहा कि वहाँ के डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गयी है वो डिलेवरी करा देंगे। जिस पर दानपुर से नरसा को लेकर मायत्मा माही राजकीय अस्पताल बांसवाडा में आज भर्ती करा दिया है। वहाँ के डॉक्टर साहब अमितजी द्वारा 1000 हजार रुपये स्टाफ के लिये एवं 8000 रुपये डिलेवरी कराने के खर्चापानी के खर्च के लिये मांगे गये। नरसा को भर्ती कराने हेतु बांसवाडा आ रहे थे कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा उनके मोबाईल नम्बर 9166678686 से मेरे मोबाईल पर फोन किया जा रहा

है और कहा कि मेरी डॉक्टर साहब से वहां बात हो गयी है अच्छा ईलाज कर देंगे। ईलाज के संबंध में आज डॉक्टर साहब प्रदीप शर्मा से जरिये मोबाईल चार-पांच बार मेरी बात हुई है। नरसा के ईलाज के संबंध में हमारी डॉक्टर अमितजी से बहस बाजी हो गयी है इसलिये वह अब रिश्वत राशि की मांग हमसे सीधी नहीं कर डॉक्टर प्रदीप शर्मा के माध्यम से कर रहे हैं। मैंने अपने मोबाईल से आज दिनांक 14.06.22 को डॉक्टर प्रदीप शर्मा से वार्ता की तो रिश्वत राशि डॉक्टर अमितजी को नहीं देकर 8000 रुपये उनके द्वारा लेकर बाद में डॉक्टर अमितजी को देना बताया है उक्त वार्ता को मैंने अपने मोबाईल में दो बार रिकॉर्डिंग कर ली है। जिसकी सीडी बनाई जाकर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ईलाज के दौरान डॉक्टर अमितजी ने भी कहा कि मेरी डॉक्टर प्रदीप शर्मा से बात हो गई है। दोनो डॉक्टरों से किसी प्रकार की हमारी कोई रजिश् नही है और न ही कोई उधारी लेनदेन है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं डॉक्टर अमित मिलकर मेरे भाई राजू की पत्नी नरसा के डिलेवरी कराने के नाम से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इन दोनो के खिलाफ रिश्वत लेते हुए पकडवाने की कार्यवाही करावें।

दिनांक 14.06.22

प्रार्थी

सही/-

(पीरूलाल पिता राजेंग डोडियार)

सही/-

(राजू पिता रमेश डोडियार)

निवासी दानपुर बारी तहसील छोटी सरवन

जिला बांसवाडा (मों न.9549709670)

#### कार्यवाही पुलिस

दिनांक 14.06.2022 समय 02.30 पीएम पर परिवारी श्री पीरूलाल पिता श्री राजेंग डोडियार उम्र 22 वर्ष एवं श्री राजू डोडियार पिता श्री रमेश डोडियार उम्र 20 वर्ष निवासी गांव दानपुर बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर हाजिर आये। परिवारी श्री पीरूलाल ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवारी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवारी ने शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवारी पीरूलाल ने बताया कि मेरे भाई श्री राजू की पत्नी नरसा के डिलेवरी टाईम होने पर दिनांक 12.06.2022 को चिकित्सालय दानपुर में भर्ती कराया था जिस पर डॉ साहब ने बताया था कि बच्चा अन्दर मर गया है डिलेवरी में एक दो दिन का समय लगेगा और डिलेवरी कराने हेतु मुझसे 4000 रुपये खर्चापानी(रिश्वत) के नाम से दिनांक 12.06.2022 को ही ले लिये और डिलेवरी नहीं होने से दिनांक 14.06.2022 को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के लिये रेफर कर दिया गया और कहा कि मैंने चिकित्सालय बांसवाडा में डॉ अमित से बात हो गई है वह डिलेवरी करा देंगे। इसके बाद दिनांक 14.06.2022 को नरसा को चिकित्सालय बांसवाडा में भर्ती कराया गया जहां पर डॉ अमित द्वारा डिलेवरी कराने के लिये 1000 रुपये स्टाफ एवं 8000 रुपये स्वयं के लिये रिश्वत राशि की मांग की गई। नरसा का सही ईलाज नहीं करने से डॉ अमित से आपस में बहस बाजी हो गई। इस कारण डॉ अमित द्वारा रिश्वत राशि हम से सीधी नहीं मांग कर डॉ प्रदीप के माध्यम से मांग की गई है। डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्सालय दानपुर में पदस्थापित है तथा वह मुझसे जरिये मोबाईल पर भी रिश्वत की मांग कर लेते हैं। आज सुबह से लगाकर दिन में चार पांच बात हुई है मैंने आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे मोबाईल नम्बर 9549709670 से डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 पर 9.40 एएम एवं 01.15 पीएम पर रिश्वत मांग संबंधी हुई वार्तालाप को मैंने अपने मोबाईल में रिकॉर्ड कर लिया है जिसकी सीडी बनाकर आपको प्रस्तुत कर दी है। श्री राजू डोडियार ने भी श्री पीरूलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। सीडी को कमप्युटर में डालकर सुना गया तो संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवारी श्री पीरूलाल से डॉ अमित के लिये 8000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है। फिर भी प्रकरण में रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवारी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया भलीभांती समझाई गई तो परिवारी श्री पीरूलाल ने बताया कि डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा मुझसे रिश्वत राशि की मांग जरिये मोबाईल पर भी कर लेंगे। मालखाने में रखा गया डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री राजेश कानि से गंगवाया गया। सीडी पर परिवारी श्री पीरूलाल एवं श्री राजू के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.04 पीएम पर परिवारी श्री पीरूलाल के मोबाईल नम्बर 9549709670 से संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 पर कॉल किया तो संदिग्ध का फोन व्यस्त आया। इसी दौरान संदिग्ध के मोबाईल से परिवारी के मोबाईल पर कॉल आया जिसे लाउड स्पीकर कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवारी श्री पीरूलाल से उसके भाई राजू की पत्नी श्रीमती नरसा के अच्छा ईलाज करने व डिलेवरी कराने के लिये संदिग्ध डॉ अमित के लिये 8000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा परिवारी द्वारा डॉ अमित से मिलने हेतु कहने पर संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा फोन से बात कर पुनः बताने हेतु कहा गया। समय 03.09 पीएम पर संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल से परिवारी पीरूलाल के मोबाईल पर कॉल आया जिसे लाउड स्पीकर कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा कहा गया कि मेरी डॉ अमित से बात हो गई है अभी वह सरकारी अस्पताल में नहीं होकर उनके निजी क्लिनिक पर मिलेंगे वहां जाकर बात कर लेना। परिवारी पीरूलाल को डॉ अमित के क्लिनिक कहां स्थित है की जानकारी नहीं होने से समय 03.10 पीएम पर परिवारी पीरूलाल के मोबाईल से संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल पर पुनः कॉल किया जाकर फोन को लाउड स्पीकर कर वार्ता करायी जाकर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। प्रकरण में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवारी पीरूलाल से दिनांक 12.06.2022 को

h

श्रीमती नरसा के ईलाज व डिलेवरी कराने के एवज में 4000 रुपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण कर ली है तथा नरसा की डिलेवरी नहीं कराकर राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के लिये आज दिनांक 14.06.2022 को रेफर करने पर श्रीमती नरसा को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय के डॉ अमित द्वारा परिवादी पीरुलाल से 1000 रुपये स्टाप के लिये एवं 8000 रुपये स्वयं के लिये मांग की गई परन्तु परिवादी व उसके परिजनों की डॉ अमित से ईलाज सही नहीं करने को लेकर आपस में बहस-बाजी हो जाने से अब रिश्वत की मांग नहीं की जा रही है फिर भी एक बार परिवादी श्री पीरुलाल व श्री राजू को संदिग्ध डॉ अमित के पास भेजा जाकर रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक है तथा संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा संदिग्ध डॉ अमित से वार्तालाप हो जाना तथा संदिग्ध डॉ अमित से उसके क्लिनिक पर मिलने हेतु कहा गया है। परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख-रखाव व उसके संचालन की विधि पुर्णतया समझाई गई। श्री राजेश कानि. का परिवादी श्री पीरुलाल एवं राजू से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 03.25 पीएम पर परिवादी पीरुलाल को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री पीरुलाल एवं राजू को श्री राजेश कानि के हमराह ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा से रातीतलाई शहर बांसवाड़ा में स्थित संदिग्ध डॉ अमित के क्लिनिक हेतु मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 04.05 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल व राजू एवं श्री राजेश कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा उपस्थित आये। परिवादी श्री पीरुलाल ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि हम दोनो(पीरुलाल व राजू) डॉ अमित के क्लिनिक पर जाकर नरसा के ईलाज व डिलेवरी कराने तथा रिश्वत राशि के संबंध में वार्तालाप की तो डॉ अमित द्वारा रिश्वत की मांग नहीं कर डॉ प्रदीप शर्मा से बात हो गई इत्यादि कहा गया। परिवादी श्री पीरुलाल ने बताया कि नरसा के ईलाज के संबंध में हमारी आपस में बहस-बाजी होने से डॉ अमित रिश्वत की मांग नहीं कर रहा है। संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा लोक सेवक होकर परिवादी श्री पीरुलाल से दिनांक 12.06.2022 को 4000 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर ली एवं अब 8000 रुपये रिश्वत की मांग संदिग्ध डॉ अमित के लिये की गई। समय 04.34 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल के मोबाईल नम्बर 9549709670 से संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 कॉल कर फोन को लाउड स्पीकर पर कर वार्ता कराई जाकर वार्ता को ब्यूरो की डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा अब भी रिश्वत राशि की मांग संदिग्ध डॉ अमित के लिये की गई एवं संदिग्ध अमित द्वारा डॉ प्रदीप शर्मा से वार्ता हो जाना बता रहा है और संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा रिश्वत राशि लेकर परिवादी श्री पीरुलाल को दिनांक 15.06.2022 को दानपुर बुलाया गया। परिवादी श्री पीरुलाल एवं राजू को दिनांक 15.06.2022 को प्रातः 8.00 एएम पर रिश्वत राशि 8000 रुपये लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा पर उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री राजू ने बताया कि मेरी पत्नी नरसा चिकित्सालय बांसवाड़ा में भर्ती होने से उसके साथ रहना पड़ता है एवं श्री पीरुलाल रिश्वत राशि 8000 रुपये लेकर आ जायेगा जिस पर परिवादी श्री पीरुलाल व राजू को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रखसत किया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 15.06.2022 समय 08.30 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए जरिये दूरभाष तलवीदा स्वतंत्र गवाहान डॉ. विजयसिंह भाटी पिता श्री जयपालसिंह भाटी हाल उप निदेशक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बांसवाड़ा एवं श्री यशवन्त ताबियार पिता हवजी ताबियार निवासी गांव केसरपुरा तहसील अस्थुना जिला बांसवाड़ा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बांसवाड़ा उपस्थित आये। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री पीरुलाल ब्यूरो इकाई, बांसवाड़ा उपस्थित आया और बताया कि रिश्वत राशि 8000 रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूँ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहानों को अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री पीरुलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी श्री पीरुलाल एवं राजू द्वारा पेश रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री पीरुलाल ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पीरुलाल ने कल दिनांक 14.06.2022 को आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा एवं परिवादी पीरुलाल के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्तालाप को रिकॉर्ड कर प्रार्थना पत्र के साथ सीडी प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 14.06.2022 को परिवादी श्री पीरुलाल एवं डॉ प्रदीप शर्मा के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्तालाप एवं संदिग्ध डॉ अमित एवं परिवादी श्री पीरुलाल व राजू के मध्य संदिग्ध डॉ अमित के क्लिनिक पर हुई वार्तालाप को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री पीरुलाल द्वारा प्रस्तुत सीडी को मालखाने से निकालकर सीडी को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्यूटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से चलाकर मौतबिसान तथा परिवादी को रबर शब्द-वशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-वशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिव कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी पर संबन्धितों के

W

हस्ताक्षर कराकर सीडी को एक कपडे की थैली में रखकर सीलचीट किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 09.40 एएम पर दिनांक 14.06.2022 समय 03.04 पीएम, 03.09 पीएम, 03.10 पीएम एवं 04.34 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 से परिवादी श्री पीरुलाल डोडियार के मोबाईल नम्बर 9549709670 पर हुई वार्ताए जिन्हे परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ताओं को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर मौतबिरान तथा परिवादी को रुबरु शब्द-बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनवाई गई। पेनड्राईव से डब सीडी बनाई तथा पेन ड्राईव को रुबरु गवाहान के छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया गया व डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 10.05 एएम पर दिनांक 14.06.2022 को संदिग्ध डॉ अमित एवं परिवादी श्री पीरुलाल व राजू के बीच संदिग्ध डॉ अमित के नायक हॉस्पिटल रातीतलाई बांसवाडा स्थित क्लिनिक पर हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर मौतबिरान तथा परिवादी को रुबरु शब्द-बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनवाई गई। पेनड्राईव से डब सीडी बनाई तथा पेन ड्राईव को रुबरु गवाहान के छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया गया व डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 10.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री पीरुलाल डोडियार से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500-500 रुपये के 16 नोट कुल 8000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैं :-

1	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3RM	030355
2	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1MH	519712
3	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1TF	000745
4	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1HP	209510
5	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1RQ	491107
6	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6CR	744360
7	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3GM	326264
8	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0QA	100646
9	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1AQ	236846
10	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1CR	156076
11	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1BS	065977
12	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8BU	244510
13	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1BK	865088
14	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8MP	521116
15	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2UK	245325
16	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6MQ	345951

मालखाने से फिनोफथलीन की शिशी श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनोफथलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री पीरुलाल की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री राजेश कानि0 से एक साफ काँच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफथलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त काँच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि यह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दवाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0

पुलिस अधीक्षक को मोबाईल नम्बर पर गिरा कॉल करके आरोपी को रिश्त राशि दिये जाने का इशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को सांगझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयों, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि० से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवारी तथा आरोपी के मध्य रिश्त राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 11.10 एएम पर परिवारी श्री पीरुलाल को रिश्त लेनदेन वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु व्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर संचालन की विधि पुनः सांगझा कर दोनो स्वतंत्र गवाहान के साथ जारिये फर्द सुपुर्द किया गया। समय 11.25 एएम पर मनु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, व्यूरो जाप्ता श्री महेशचन्द्र कानि., श्री राजेश कुमार कानि., श्री गजिद खान कानि. मय ट्रेप वॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक संसाधन जारिये प्राइवेट वाहन मय चालक व जितेन्द्रसिंह कानि.झा व श्री पंकज कानि. व परिवारी पीरुलाल को मोटरसाईकल से व्यूरो इकाई बांसवाडा से दानपुर के लिये रवाना हुए। समय 12.20 पीएम पर मनु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, व्यूरो जाप्ता मय ट्रेप वॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक संसाधन जारिये प्राइवेट वाहन मय चालक व जितेन्द्रसिंह कानि.झा व श्री पंकज कानि. व परिवारी श्री पीरुलाल मोटरसाईकल से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर के पास पहुंच कर परिवारी को मुनासिब हिदायत के चिकित्सालय दानपुर के लिये मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया तथा मनु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व व्यूरो जाप्ता चिकित्सालय के आस पास अपनी अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवारी के इशारे के इन्तजार में मुकाम हुए। समय 12.30 पीएम पर परिवारी श्री पीरुलाल ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर के भवन से बाहर आकर स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर के खुले चौक में खड़े होकर आरोपी द्वारा रिश्त राशि ग्रहण करने वास्तु पूर्व निर्धारित इशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरने का करने पर मनु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय व्यूरो जाप्ता तेज कदमो से चलते हुए परिवारी के पास पहुंचा तो परिवारी ने टेप रिकोर्डर प्रस्तुत किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवारी ने बताया कि डॉ प्रदीप शर्मा ने रिश्त राशि मांग कर ग्रहण करते हुए दोनो हाथों से गिनाकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांधी जेब में रख लिये है। मनु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियों के साथ परिवारी को हमराह लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की ओर जाने लगा तो भवन के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए एक व्यक्ति की ओर परिवारी ने इशारा कर बताया कि यही डॉ प्रदीप शर्मा है उस व्यक्ति को मनु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व व्यूरो जाप्ता द्वारा रोकते हुए अपना स्वयं व हमराहियों का परिचय देते हुए उसको हमराह लेकर स्वास्थ्य केन्द्र में बने चिकित्सक कक्ष में पहुंच कर उस व्यक्ति से नाम, पता पूछा तो उसने अपना डॉ प्रदीप शर्मा हाल चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा होना बताया। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को परिवारी श्री पीरुलाल से रिश्त राशि 8000 रुपये अभी-अभी किरा वात के ग्रहण किये गये है के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि पीरुलाल ने मुझे जबरदस्ती 8000 रुपये दिये है जो मैंने अपनी पेन्ट की बांधी जेब में रख लिये है। जिस पर गौके पर उपस्थित परिवारी ने कहा कि डॉ प्रदीप शर्मा झूठ बोल रहे है उनके द्वारा मेरे भाई श्री राजु की पत्नी नरसा के डिलेवरी टाईम होने पर दिनांक 12.06.2022 को चिकित्सालय दानपुर में भर्ती कराया था जिस पर डॉ साहब ने बताया था कि बच्चा अन्दर मर गया है डिलेवरी में एक दो दिन का समय लगेगा और डिलेवरी कराने हेतु मुझसे 4000 रुपये खर्चापानी(रिश्त) के नाम से दिनांक 12.06.2022 को ही ले लिये और डिलेवरी नहीं होने से दिनांक 14.06.2022 को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के लिये रेफर कर दिया गया और कहा कि मैंने चिकित्सालय बांसवाडा में डॉ अमित से बात हो गई है वह डिलेवरी करा देंगे। इसके बाद दिनांक 14.06.2022 को नरसा को चिकित्सालय बांसवाडा में भर्ती कराया गया जहां पर डॉ अमित द्वारा डिलेवरी कराने के लिये 1000 रुपये स्टाफ एवं 8000 रुपये स्वयं के लिये रिश्त राशि की मांग की गई। नरसा का सही इलाज नहीं करने से डॉ अमित से आपस में महस बाजी हो गई। इस कारण डॉ अमित द्वारा रिश्त राशि हम से सीधी नहीं मांग कर डॉ प्रदीप के माध्यम से मांग की गई जो मांग अनुसार आज डॉ प्रदीप शर्मा ने रिश्त राशि 8000 हजार रुपये मांग कर ग्रहण किये है। रिश्त राशि ग्रहण करते समय डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा डॉ अमितजी को फोन लगाया था लेकिन उनके द्वारा फोन रिस्वीव नहीं किया गया और इन्होंने बाद में पुनः बात करने हेतु कहा था। उक्त वार्तालाप को मैंने टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा रिश्त राशि हेतु मुझसे कई बार जारिये मोबाईल वार्ता की थी। जिस पर डॉ प्रदीप शर्मा कहने लग गया मलती हो गयी साहब माफ कर दो और कहने लगा कि पेशेंट भी मेरे पास भर्ती नहीं है और व ही मेरा कोई काम पेण्डिंग है पीरुलाल जबरदस्ती नरसा के इलाज के लिये दवाई व खर्चापानी के लिये दे गया है जिनो मैंने अपनी जेब में रख लिया है। गौके पर उपस्थित परिवारी पीरुलाल ने कहा कि डॉ प्रदीप शर्मा झूठ बोल रहे है केवल अपने बचाव हेतु बहाना बाजी कर रहे है मैंने कोई जबरदस्ती रिश्त राशि नहीं दी है। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान, परिवारी व व्यूरो जाप्ता तथा आरोपी की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाह डॉ गिजय सिंह भाटी से आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के पहने हुए पेन्ट की तलाशी लिवाई गयी तो पेन्ट की बांधी जेब से सिगटे हुए 500-500 रुपये के कुछ नोट बरामद हुए जिनका दोनो स्वतंत्र गवाहों से पूर्व में मूर्तिय की गई फर्द पेशकशी सुपुर्दगी नोट से कराया गया तो नोट मुबद्द फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500-500 रुपये के 16 नोट कुल 8,000 रुपये बरामद हुए जिसे कब्जे व्यूरो लिया गया तथा बरामद शुदा रिश्त राशि 8000 रुपये को एक कागज की पीट लगाकर सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् प्राइवेट वाहन में रखे ट्रेप वाहन को श्री राजेश कुमार कानि० से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के

h

गिलासों में चिकित्सालय में पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा गवाहान ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी डॉ. प्रदीप शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा ने रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखे थे जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक है। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्सालय परिसर में स्थित सरकारी आवास से पहनने हेतु एक पायजामा(लॉवर) भंगवाया जाकर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा की पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर उसे पायजामा(लॉवर) पहनाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। बरामद रिश्वत राशि बांयी जेब को उलटवाकर कर तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर सीलचीट कर चीट पर संबन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। पेन्ट की जेब को धुप में सुखाकर जेब पर संबन्धितों के हस्ताक्षर कर करवाये गये। एक सफेद कपड़े की थैली में पेन्ट को रखकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर थैली को सीलचीट किया गया। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा प्रकरण में रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं से उक्त रिश्वत राशि 8000 रुपये परिवादी श्री पीरुलाल के भाई राजू की पत्नी श्रीमती नरसा की डिलेवरी कराने एवं अच्छी देखभाल करके ईलाज करने हेतु डॉ अमित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के लिये मांग की गई है। जिस पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 से डॉ अमित के मोबाईल नम्बर 9610851110 पर समय 12.39 पीएम पर कॉल कर वार्ता करवायी गई तो डॉ अमित ने फोन रिसेव नहीं किया। समय 12.51 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा ने बताया कि डॉ अमित का फोन आ रहा है जिस पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा का फोन लाउड स्पीकर पर करवाया जाकर वार्तालाप करवायी जाकर उक्त वार्ता को व्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में डॉ अमित द्वारा आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को कहा कि काम हो जायेगा वार वार फोन मत करो ईलाज चल रहा है अन्य डॉक्टरों को भी दिखा दिया है टेन्शन मत लो इत्यादि कहा गया। परन्तु रिश्वत संबंधी को वार्तालाप नहीं करने से पुनः समय 12.56 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल से कॉल किया गया तो डॉ अमित ने कॉल रिसेव नहीं किया गया। इसी दौरान समय 12.57 पीएम पर आरोपी डॉ अमित का फोन पुनः आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल पर आने पर फोन को लाउड स्पीकर पर करवाया जाकर उक्त वार्ता को व्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्तालाप में आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा ने 8000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त होने बाबत बताया तो डॉ अमित ने कहा कि हां कोई बात नहीं, ईलाज चल रहा है और फोन पर ऐसी बात नहीं करते है लफड़ा हो जायेगा इत्यादि कहा गया। डॉ अमित पूरी सतर्कता रखते हुए रिश्वत बाबत तथा मोबाईल पर पैसों की बात नहीं करने का कह रहा है। परिवादी के भाई श्री राजू की पत्नी श्रीमती नरसा को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर से रेफर करने से वर्तमान में राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा में भर्ती होकर डॉ अमित द्वारा ईलाज किया जा रहा है। डॉ अमित से रिश्वत मांग का सत्यापन कराया तो उन्होंने रिश्वत बाबत परिवादी को मना किया तथा डॉ प्रदीप शर्मा ने परिवादी को कहा कि उसकी डॉ अमित से बात हो गई है वह 8000 रुपये उससे नहीं लेंगे वे 8000 रुपये रवंय को देने व उसके द्वारा डॉ अमित को पहुँचाने का कहा है। आज रिश्वत लेनदेन के समय भी डॉ अमित को डॉ प्रदीप द्वारा जरिये मोबाईल कहा कि 8000 रुपये आ गये है तो के जवाब में डॉ अमित ने कहा कि हां रखे रहने दो व मोबाईल पर पैसों की बात नहीं करते इसमें लफड़ा हो जायेगा। चूंकि डॉ अमित ने सत्यापन में परिवादी से सीधे रिश्वत की मांग नहीं की है तथा लेनदेन वार्ता में भी सावधानी बरतते हुए खुलकर स्पष्ट नहीं बोला व पैसों रखे रहने देने की बात की है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से डॉ अमित की भूमिका संदिग्ध है, परन्तु इस रिश्वत मांग व रिश्वत ग्रहण के मामले में डॉ अमित की भूमिका व साक्ष्यता बाबत धिरतृत अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट होगी। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा व डॉ अमित के बीच जरिये मोबाईल हुई वार्तालाप की फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट पृथक से भूतिच की जायेगी। कार्यवाही के दौरान आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा से श्रीमती नरसा के चिकित्सालय दानपुर में भर्ती एवं रेफर बाबत रिकॉर्ड चाहा तो आरोपी ने बताया कि चिकित्सालय के ओपीडी रजिस्टर में गरीज भर्ती व रेफर होने बाबत इन्द्राज किया जाता है। चिकित्सालय में उपस्थित श्रीमती मिली मोल रटॉप नर्स फस्ट ग्रेड से ओपीडी रजिस्टर से श्रीमती नरसा के इन्द्राज बाबत रजिस्टर की छायाप्रति करवाया जाकर मिली मोल रटॉप नर्स से प्रमाणित करवाया जाकर शाहील पत्रावली किया गया। समय 01.45 पीएम पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिच किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दर्ज रहे कि चिकित्सालय पर काफी भीड़भाड़ हो चुकी है एवं मौके पर सुरक्षा का अभाव होने से समय 01.55 पीएम पर गन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गय दोनों रवाना गवाहान, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा व व्यूरो जाका गय ट्रेप वाक्स जब्त रिश्वत राशि 8000 रु, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के दोनों हाथों का धोवन मार्क आरएच-1 व 2, एलएच-1 व 2, बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जेब का धोवन मार्क पी-1 व 2, सीलचीट शुदा पेन्ट पैकेट मार्क-पी तथा लेपटॉप,

H

प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक तथा श्री पंकज कानि. व श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक व परिवादी श्री पीरुलाल मोटरसाईकल से दानपुर से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 02.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा व ब्यूरो जाप्ता मय ट्रेप बाक्स, जब्त रिश्वत राशि 8000 रु, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच-1 व 2, एलएच- 1 व 2, बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जैब का धोवन मार्क पी-1 व 2, सीलचीट शुदा पेन्ट पैकेट मार्क-पीतथा लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक तथा श्री पंकज कानि. व श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक व परिवादी श्री पीरुलाल मोटरसाईकल से दानपुर से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहुँचा। श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक एवं श्री बाबुलाल कानि को संदिग्ध डॉ अभित की तलाश हेतु चिकित्सालय बांसवाडा एवं शहर बांसवाडा के लिये मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 15.06.2022 को परिवादी श्री पीरुलाल व आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के बीच रिश्वत लेन-देन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी हैं। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्यूटर में लगाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री नारायणलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 03.10 पीएम पर दौरान ट्रेप कार्यवाही संदिग्ध डॉ अभित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के मोबाईल नम्बर 9610851110 से आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर पे रखते हुए आज दिनांक 15.06.2022 को समय 12.51 पीएम एवं 12.57 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्यूटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी व आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को रुबरु शब्द-बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनवाई गई। पेनड्राईव से डब सीडी बनाई तथा पेन ड्राईव को रुबरु गवाहान एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया गया व डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 03.30 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के कब्जे मिला मोबाईल फोन मय सिमकार्ड वारते वजह सबुत जप्त कर विस्तृत फर्द जप्ती मोबाईल नुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 अष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी नुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.15 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा से प्रकरण पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताये गये तथ्यों के अलावा नये कोई तथ्ये नही बताये गये। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के सरकारी आवास दानपुर की खाना तलाशी ली जानी है आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को निगरानी हेतु श्री माजिद खान एवं श्री गणेशप्रसाद हैड कानि. को सुपुर्द किया गया तथा प्रकरण जप्ताशुदा रिश्वत राशि 8000 रुपये, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के दोनो हाथों के धोवन व बरामद रिश्वत राशि पेन्ट के जैब का धोवन सीलचीट शुदा शिशियां, प्रकरण में रिकॉर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, अरिष्ठ मोबाईल हुई वार्ता, परिवादी श्री पीरुलाल द्वारा रिकॉर्ड की गई वार्तालाप, रिश्वत लेनदेन वार्ता सीलचीट शुदा मेगोरी कार्ड एवं डब सीडियां इत्यादि श्री राजेश कानि. मालखान प्रभारी को सुपुर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक, श्री बाबुलाल कानि ब्यूरो इकाई बांसवाडा काजिर आगे और बताया कि संदिग्ध डॉ अभित चिकित्सालय बांसवाडा एवं उसके निलीनिक या निवास पर उपस्थित नहीं है। संदिग्ध डॉ अभित को ब्यूरो के ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से अपनी सकुणत से रुहपोश हो गया है। समय 05.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्रीमती पुनम महिला कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन मोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर परिसर में बने आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के सरकारी आवास पर पहुंचा जहां पूर्व से पार्वत शुदा श्री महेशचन्द्र कानि. उपस्थित मिला। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के सरकारी आवास की खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। समय 08.15 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के सरकारी आवास की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी नुर्तिब कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्रीमती पुनम महिला कानि., श्री महेश चन्द्र कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन मोलेरो के दानपुर से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 09.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्रीमती पुनम महिला

h

कानि, श्री महेश चन्द्र कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो के दानपुर से रवाना शुक्रा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहुंचा। परिवारी श्री पीरुलाल व दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ विजय सिंह भाटी एवं श्री यशवन्त तावियार को गुनासिव हिदायत के रुखसत किये गये। समय 09.45 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा का मेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा तहरिर जारी कर श्री बाबुलाल कानि0 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को गुनासिव हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 10.30 पीएम पर श्री बाबुलाल कानि0, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक एवं आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। कानि, श्री बाबुलाल द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया।


दिनांक 16.05.2022 समय 02.00 एएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराने तहरिर जारी कर श्री बाबुलाल कानि, श्री महेशचन्द्र कानि, मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को गुनासिव हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.40 एएम पर श्री बाबुलाल कानि, श्री महेशचन्द्र कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि, चालक मय सरकारी बोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। श्री बाबुलाल कानि ने आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को पुलिस थाना कोतवाली में जमा करीय गय रोजनागचा आम रपट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त कर कोरोना जांच करायी जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवारी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन गोबाईल वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिर्नाफथेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की सगस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवारी श्री पीरुलाल के भाई श्री राजू की पत्नी श्रीमती नरसा के डिलेवरी टाईम होने से दिनांक 12.06.2022 को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय के दानपुर के डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा श्रीमती नरसा का ईलाज करने व डिलेवरी कराने के नाम से 4000 रुपये मांग कर ग्रहण किये गये तथा नरसा की डिलेवरी नहीं होने से राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के लिये रेफर कर दिया गया। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा श्रीमती नरसा का चिकित्सालय बांसवाडा में अच्छा ईलाज कराने एवं डिलेवरी कराने के नाम से डॉ अमित के लिये 8000 रुपये की रिश्वत की मांग जरिये मोबाईल की गई जिसे परिवारी श्री पीरुलाल द्वारा रिकोर्ड कर प्रार्थना पत्र के साथ सीडी पेश की गई। दिनांक 14.06.2022 को परिवारी एवं डॉ प्रदीप शर्मा से जरिये दूरभाष वार्तालान कराई गई तो आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवारी से 8000 रुपये डॉ अमित के लिये मांग करना पाया गया। दिनांक 14.06.2022 को परिवारी श्री पीरुलाल को डॉ अमित से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजा गया परन्तु डॉ अमित द्वारा रिश्वत संबंधी कोई वार्ता नहीं की गई। परिवारी ने बताया कि डॉ अमित से नरसा के ईलाज के लिये बहस-बाजी होने से वह अब सीधे रिश्वत की मांग नहीं कर रहे हैं। डॉ प्रदीप शर्मा अब डॉ अमित के लिए 8000 रुपये रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि उन्हें ही देने का कह रहे हैं। मांग सत्यापन से आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवारी से 8000 रुपये रिश्वत की मांग डॉ अमित के लिये करना पाया जाने पर दिनांक 15.06.2022 को आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को परिवारी श्री पीरुलाल से रिश्वत राशि 8000 रुपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

प्रकरण में डॉ अमित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा की भूमिका संदिग्ध है एवं डॉ अमित की ब्यूरो जाप्ता तलाश की गई तो वह अपनी सकूनत से रुहपोश है। प्रकरण में इस रिश्वत मांग एवं रिश्वत ग्रहण के मामले में उसकी भूमिका व संलिप्तता बावत् विस्तृत अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट होगी।

अतः आरोपी डॉ. प्रदीप शर्मा पिता श्री भगवान सहाय शर्मा उम्र 40 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी गांव पाली थाना महूआ जिला दोसा हाल चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में दिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वारंते कर्माकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,


  
(माधोसिंह)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा



## सेवा विवरण

- 1- नाम : डॉ. प्रदीप शर्मा
- 2- पिता का नाम : श्री भगवान सहाय शर्मा
- 3- जन्म तिथि : 30.10.1982
- 4- निवासी : गांव पाली थाना महूआ जिला दौसा
- 5- पदनाम एवं पदस्थापन : चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर  
जिला बांसवाडा।
- 6- विभाग : चिकित्सा विभाग
- 7- क्या सेवा में स्थाई कृत है :
- 8- वेतन एवं वेतन श्रृंखला : 80700/- मूल वेतन
- 9- वेतन वृद्धि दिनांक : जुलाई, 2022
- 10- सेवानिवृति दिनांक : 30.10.2044
- 11- सेवा से पृथक करने वाले अधिकारी का पद नाम : श्रीमान निदेशक, (स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।

  
 (माधीसिंह)  
 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
 बांसवाडा

## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. प्रदीप शर्मा, चिकित्साधिकारी, प्रभारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर, जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 243/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफतीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2135-40 दिनांक 16.6.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, (स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

  
16.6.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।